न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः– अशोक सांगवा आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः–24 / 2025 (खाद्य पदार्थ नमूना संख्या के–2209)

राजस्थान सरकार जरिये हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगागनगर

–प्रार्थी

बनाम्

श्री जगरूप सिंह पुत्र श्री दिलबाग सिंह(मोबाईल दूध विक्रेता) 55 जीबी रामसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(।।),51 **FSSA Act 2006**

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ★ ANUPGARH ★

–:निर्णयः–

दिनांकः–30.06.2025

यह इस्तगासा **श्री हेतराम** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(।।) व **धारा 51** के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है–

यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **हेतराम** दिनांक 11.10.2023 को समय 10:15 एएम बजे पर जोधपुर मिष्ठान भंडार के सामने, मैन रोड़ रामसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर पहुँचा। मौके पर **श्री जगरूप सिंह पुत्र श्री दिलबाग सिंह(मोबाईल दूध विक्रेता) 55 जीबी रामसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर** मोटर साईकिल(बिना नं.) पर तीन टंकियो में लगभग 60–65 लीटर दूध ले जा रहा था। दूध के बारे में जानकारी चाही गई तो जगरूप सिंह पुत्र श्री दिलबाग सिंह ने टंकियो में गाय का दूध होना व आमजन के बेचान हेतु ले जाना बताया। जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से गाय का दूध का नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म नं.–5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैंने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आम जनता के लिये विक्रय हेतु ले जा रहे एक टंकी में से दूध को हिला मिलाकर(एकरूप कर) गाय का दूध 2 लीटर साफ–सुफरे स्टील के बर्तन में विक्रेता से तय कीमत पर खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा गाय का दूध का नगद भुगतान 90 रूपये किया तथा विक्रेता से केशमीमों बनवाकर लिया, जिस पर विक्रेता श्री जगरूपसिंह तथा गवाहान के हस्ताक्षर है ओर मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **श्री जगरूप सिंह पुत्र श्री दिलबाग सिंह(मोबाईल दूध विक्रेता) 55 जीबी रामसिंहपुर** को एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **श्री जगरूप सिंह पुत्र श्री दिलबाग सिंह** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गाय का दूध 2 लीटर** को बराबर भागों में बांटकर 04 साफ–सुथरे डिब्बों में भरकर परिरक्षक फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर ढक्कन को एयरटायट कर लिया ओर चारों डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड़ एवं क्रमांक **के–2043** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2043** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मालिक एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं.

6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फॉर्म नं. 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

फूड एनालिस्ट बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र क्रमांक FSSA/2023/24550-51 दिनांक 17.11.2023** के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** का नमूना **Sub standard food** होना पाया गया भेजकर उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। जाँच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य विश्लेषक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने विक्रेता को फर्म से संबंधित दस्तावेज पेश करने एवं पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक FSSA/2023/24550-51 दिनांक 17.11.2023** द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया। परंतु नमूना विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब से जांच करवाने हेतु कोई आवेदन नहीं किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतराम ने अनुसंधान कार्य सम्पन्न होने के पश्चात श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को पत्र दिनांक 09.01.2024 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश की गई।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक एफएसएसए 2024/34–35 दिनांक 16.01.2024 के द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी **श्री जगरूप सिंह पुत्र श्री दिलबाग सिंह(मोबाईल दूध विक्रेता) 55 जीबी रामसिंहपुर** से खाद्य पदार्थ **गाय का दूध Sub -standard Food** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(।।) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **54** में निर्धारित है। श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

राजस्व(ग्रुप–1) की अधिसूचना क्रमांक/प.7(27) राज/2/2023–06221 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर मे स्वीकृत ए.डी.एम. के पद को यथावत रखने के कारण ए.डी.एम कार्यालय का सृजन किया गया है। उक्त अनवान की पत्रावली इस न्यायालय को कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुई है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट पुनः नये नं. पर दर्ज रजिस्टर की गई।

अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश रांकावत उपस्थित हुए एव जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में एफ.एस.एस.ए. 2006 सपठित नियम व विनियम 2011 के तहत प्रस्तुत परिवाद का अपराध नहीं बनता है। उक्त अधिनियम व विनिमय के तहत लिया गया संज्ञान विधि सम्मत नही है उक्त अधिनियम एवं नियम व विनिमय विधायिका द्वारा पारित नहीं किया गया है, इस कारण दिनांक 11.03.2024 का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। परिवाद प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त प्रकरण मे पैरवी करने हेतु उपस्थित नही आये और ना ही परिवादी पक्ष ओर से पैरवी करने हेतु किसी सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया हुआ है। प्रकरण मे परिवादी की अनुपस्थिति में विधिनुसार परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण परिवाद पर संस्थित है तथा परिवाद में वर्णित अपराध संज्ञेय अपराध नही है इस कारण परिवादी की अनुपस्थिति में परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद की परिवादी की अनुपस्थिति में परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** के नमूना जांच की खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **L.S.1672/Act/2023/1672 दिनांक 02.04.2024** में खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51 का उल्लंघन करते हुए नमुना के–**2043 Sub standard** पाया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(।।) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से उक्त खाद्य पदार्थ नमूना **Sub standard food** होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा **Sub standard** खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोड़ता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार/विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल–भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा **Sub standard food** खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(II), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(II), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** हेतु **श्री जगरूप सिंह पुत्र श्री दिलबाग सिंह(मोबाईल दूध विक्रेता) 55 जीबी रामसिंहपुर को 5,000/–(पांच हजार रूपये)** रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक–30.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ANUPGARH